न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः–267/2021 निर्णय दिनांक :–07.10.2022

उनवानी दावा :

छोटू पुत्र रामनाथ जाति जाट आयु 71 साल निवासी ग्राम सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–वादी –

बनाम

1. तहसीलदार जी दूनी जिला टोंक राज0
2. धर्मचन्द पुत्र रघुनाथ जाति खटीक निवासी दूनी तहसील दूनी

– प्रतिवादीगण –

उपस्थिति :–
श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता वादीगण

इकबालिया जवाब
प्रतिवादी संख्या 2

दावा घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद के तथ्य इस प्रकार है कि अमरा पुत्र लाला जाति नाई निवासी सरोली की खातेदारी की आराजीयात साबिक ख0नं0 3270 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम दूनी तहसील दूनी स्थित है जिसका अमरा एक मात्र मालिक, काबिज, खातेदार–काश्तकार था। अमरा की मृत्यु हो गयी है तथा अमरा की विरासत का नामान्तकरण उसके पुत्र रामलाल व उसकी बेवा सोसर के नाम खोल दिया गया था, अमरा की पत्नी सोसर का भी देहान्त हो गया है ओर उसकी विरासत का नामान्तकरण उसके पुत्र रामलाल के नाम खोल दिया गया था। रामलाल का भी देहान्त हो गया है ओर इसके कोई जायज कायम मुकामान मौजूद नही है। वादी ने मृतक अमरा के पुत्र रामलाल व सोसर से दिनांक 11.08.86 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र साबिक ख0नं0 3270 में से 1 बीघा 14 बिस्वा भूमि खरीद ली थी और विक्रय पत्र रामलाल व सोसर ने वादी के पक्ष में पंजीयन करा दिया था तथा मौके पर कब्जा सौप दिया था विक्रय पत्र पंजीयन होने के पश्चात् ही उपरोक्त भूमि पर वादी का कब्जा है ओर आज भी वादी उक्त भूमि को काश्त कर रहा है। हाल ही में देवली तहसील में सेटलमेंट हुआ है ओर सेटलमेंट के दौरान उक्त भूमि के नये नं0 4206 रकबा 1.58 है0 बना दिये गये है ओर साबिक ख0नं0 3270 के रकबे को उक्त नये नं0 में

शामिल कर दिया गया है। वादी गरीब, काश्तकार पेशा व्यक्ति है विक्रय पत्र उसके पक्ष में पंजीयन होने के बाद मौके पर कब्जा करवा दिया गया था ओर वादी ही काश्त कर रहा है। इस कारण वादी ने उक्त विक्रय पत्र के आधार पर स्वयं के नाम नामान्तकरण नहीं खुलवाया क्योंकि वादी का मौके पर कब्जा था ओर मृतक अमरा या उसके वारिसान ने कभी भी वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत नहीं करे, लेकिन अब अन्य लोग वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत कर रहे है इस कारण वादी को उक्त वाद बाबत् घोषणा खातेदारी का श्रीमान् की सेवा में पेश करना आवश्यक हुआ है। साबिक ख0नं0 3270 के रकबे को गलत रूप से हाल ख0नं0 4206 में मिला दिया गया है और वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 2 सहखातेदार है ओर उसका उक्त भूमि में 35/52 हिस्सा है तथा अमरा के पुत्र रामलाल का 17/52 हिस्सा अंकित है, रामलाल का देहान्त हो गया है लेकिन उसके कोई वारिस नही होने के कारण अभी तक फोती का नामान्तकरण नहीं खुला है।, वादी ने साबिक ख0नं0 3270 में से 1 बीघा 14 बिस्वा भूमि जरिये रजि0 विक्रय पत्र खरीदी है ओर उक्त भूमि के नये नं0 ख0नं0 4206 रकबा 1.58 है0 बना दिये गये है, 1 बीघा 14 बिस्वा भूमि को है0 में परिवर्तित करने पर 0.42 है0 भूमि बनती है जिसको वादी ने खरीदी है इस कारण उक्त ख0नं0 में से 0.42 है0 भूमि वादी स्वयं के नाम लगवाने का अधिकारी है इसलिए वादी को हाल ख0नं0 4206 रकबा 1.58 है0 वाके ग्राम दूनी में से 0.42 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ओर इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावें। प्रतिवादी नं0 2 उक्त भूमि में सहखातेदार है इसलिए उसे फार्मल पक्षकार बनाया गया है उसके खिलाफ कोई अधियाचना नहीं चाही गयी है। बिनाय दावा आज से 15 दिन पूर्व उस समय उत्पन्न हुआ जब वादी ने रजि0 विक्रय पत्र की नकल के साथ हल्का पटवारी को नामा0 खोलने हेतु प्रार्थना पत्र दिया जिस पर हल्का पटवारी ने नामा0 खोलने से मना कर दिया ओर कहां कि न्यायालय से डिक्री लेकर आओ जब नामान्तकरण खोलूंगा। जो निरन्तर रूप से जारी है। विवादग्रस्त आराजीयात व पक्षकारान माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। दावा अ0धारा 88,89, राज0टि0एक्ट के तहत अन्दर मियाद पूर्ण कोर्ट फीस पर दो प्रतियो में श्रीमान् की सेवा में पेश है।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादी संख्या 1 फोरमल पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है।

प्रतिवादी नं0 2 की तरफ से जवाब दावा इस प्रकार है:– वादपत्र का चरण नं0 1 स्वीकार है। वादपत्र का चरण नं0 2 स्वीकार है। वादपत्र का चरण नं0 3 स्वीकार है, मृतक अमरा के पुत्र रामलाल व सोसर ने साबिक ख0नं0 3270 में से 1 बीघा 14 बिस्वा भूमि वादी को बेच दी थी ओर मौके पर कब्जा काश्त करवा दिया था। वादपत्र का चरण नं0 4 स्वीकार है। वादपत्र का चरण नं0 5 स्वीकार है, दावा घोषणा खातेदारी का वादी के पक्ष में डिक्री कर दिया जावे तो प्रतिवादी को कोई ऐतराज नही है। वाद पत्र का चरण नं0 6 स्वीकार है। हाल ख0नं0 4206 रकबा 1.58 है0 वाके ग्राम दूनी पर 0.42 है भूमि पर वादी का कब्जा है। वादपत्र का चरण नं0 7 स्वीकार है। वादपत्र का चरण नं0 8 के जवाब की आवश्यकता नही है। वाद पत्र का चरण नं0 9 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वादपत्र का चरण नं0 10 व 11 कानूनी है जवाब की आवश्यकता नही है। वाद पत्र का चरण नं0 12 ओर उसकी अधियाचना अ–ब– स्वीकार है। हाल ख0नं0 4206 में से रकबा 0.42 है0 भूमि वादी की खरीद शुदा रजिस्ट्री की भूमि है जिसके नये नं0 4206 है मौके पर वादी का 0.42 है0 भूमि पर कब्जा है ओर वही काश्त कर रहा है दावा वादी का डिक्री किया जाकर वादी को ख0नं0 4206 रकबा 0.42 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे जिसमें प्रतिवादी को कोई आपत्ति नही है। मृतक रामलाल के कोई जाइन्दा वारिस मौजूद नहीं है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद डिक्री कर दिया जावे तो प्रतिवादी को कोई आपत्ति नही है।

प्रतिवादीगण संख्या 2 द्वारा इकबालिया जवाब पेश होने से तनकियात बिन्दू की आवश्यकता नहीं है।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 छोटू पुत्र रामनाथ जाति जाट आयु 71 साल निवासी सरोली तहसील दूनी आज साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया। मैंने दस्तावेज प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार है। प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार है:– प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत् 2029–32, जमाबंदी सम्वत् 2029–32 प्रदर्श–2, जमाबंदी सम्वत् 2029–32 प्रदर्श–3, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–4, नकल खाता जमाबंदी 2046–65 प्रदर्श–5, अमल रजिस्ट्री प्रदर्श–6, जमाबंदी सम्वत् 2070–73 प्रदर्श–7, जमाबंदी सम्वत् 2074–77 प्रदर्श–8 पेश किये।

जिरह – प्रति.संख्या 2 इकबालिया जवाब उक्त जिरह निल

वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–2 व पी. डब्ल्यू–3 कमशः श्योजी पुत्र धन्नालाल जाति जाट आयु 54 साल निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक व मदन पुत्र हरजीराम जाति जाट आयु 60 साल निवासी तेलोलाई तहसील दूनी जिला टोंक के पेश किये। साक्ष्य पी. डब्ल्यू–2 व 3 ने अपने शपथ पत्र में वाद के तथ्यो को ही दोहराया हुए वाद को स्वीकार करने की प्रार्थना की।

जिरह – निल प्रति. सं0 2 व 3

पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई।

प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा कोई साक्ष्य नहीं कराये जाने से प्रतिवादी साक्ष्य बन्द की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो को ही अपनी बहस में दोहराते हुए वाद को डिक्री करने की प्रार्थना की। ।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात प्रदर्श–3 जमाबन्दी सम्वत 2029–32 में अमरा पुत्र लाला कोम नाई सा. सरोली के नाम ख. नं. 3270 रकबा 1 बीघा 14 बीसवा दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श–4 मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2046–65 के अनुसार साबिक ख. नं. 3269 रकबा 3 बीघा 10 बीस्वा व साबिक ख. नं. 3270 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा से नये हाल ख. नं. 4206 रकबा 1.58 है0 बनाये गये है। प्रदर्श–5 भू–प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी सम्वत 2046–65 में ख. नं. 4206 रकबा 1.58 है. के खातेदार भूरा, नारायण पुत्र ग्यारसा कोम चमार रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा व रामलाल पुत्र सोसर बेवा अमरा कोम नाई सा. सरोली रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा दर्ज है। अर्थात दोनो खातेदारो के नाम ख. नं. 4206 रकबा 1.58 है0 दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श–6 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 11.08.86 के अनुसार खातेदार रामलाल पुत्र अमरा व सोसर बेवा अमरा ने छोटू पुत्र रामनाथ जाति जाट को ख. नं. 3270 रकबा 1 बीघा 14 बीस्वा का हस्ताक्षरित विक्रय पत्र है। प्रदर्श–7 सम्वत 2070–73 में भूरा नारायण पुत्र ग्यारसा कोम बैरवा सा. सरोली रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा व रामलाल पुत्र सोसर बेवा अमरा कोम नाई सा. सरोली रकबा 1 बीघा 14

बिस्वा खातेदार के रूप में अर्थात ख. नं. 4206 रकबा 1.58 है0 के खातेदार के रूप में नामान्तकरण संख्या 3070 दिनांक 4.10.2015 से विरासत से सोसर का नाम विलोपित करने की स्वीकृति हुई है, में दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श–8 जमाबन्दी सम्वत 2074–77 में खातेदार धर्मचन्द पुत्र रघुनाथ खटीक हिस्सा 35/52 व रामलाल पुत्र अमरा हिस्सा 17/52 जाति नाई ख. नं. 4206 रकबा 1.58 है0 दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि रामलाल पुत्र अमरा जाति नाई ने ख. नं. 3270 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा का बेचान वादी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 11.08.86 को किया था जिसका नामान्तकरण वादी के नाम नही खुल पाया। बाद में सेटलमेंन्ट ने ख. नं. 3270 व 3269 को मिलाकर हाल ख. नं. 4206 रकबा 1.58 है0 बना दिया जिसमें रामलाल व सोसर पिसरान अमरान के नाम 1 बीघा 14 बिस्वा अर्थात 0.42 है0 की खातेदारी दर्ज कर दी गई । सोसर की मृत्यु के बाद सोसर की विरासत का नामान्तकरण भी रामलाल पुत्र अमरा के नाम खोला गया और सोसर का नाम विलोपित करने की स्वीकृति नामान्तकरण संख्या 3070 द्वारा हुई। जमाबन्दी सम्वत 2074–77 में ख. नं. 4206 रकबा 1.58 है0 के दो खातेदार धर्मचन्द पुत्र रघुनाथ खटीक हि0 35/52 व रामलाल पुत्र अमरा हिस्सा 17/52 के नाम खातेदारी दर्ज है। वादी व वाद अनुसार रामलाल की भी मृत्यु हो चुकी है और कोई कायम मुकामान नहीं है। यह रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 11.08.86 से स्पष्ट है कि रामलाल व उसकी मां सोसर ने वादी को 1 बीघा 14 बिस्वा का बेचान किया था परन्तु नामान्तकरण नहीं खुलने के कारण वादी के नाम 1 बीघा 14 बीस्वा अर्थात ख. नं. 4206 रकबा 1.58 है0 में से 0.42 है0 की खातेदारी वादी के नाम नहीं लग पाई । परन्तु जमाबन्दी सम्वत 2074–77 में ख. नं. 4206 रकबा 1.58 है0 के दो खातेदार धर्मचन्द पुत्र रघुनाथ खटीक हि0 35/52 व रामलाल पुत्र अमरा हिस्सा 17/52 के नाम खातेदारी दर्ज है, जिसके अनुसार रामलाल पुत्र अमरा का 17/52 हिस्सा खातेदार के नाम के साथ ही अंकन है। ख. नं. 4206 रकबा 1.58 है0 का 17/52 हिस्सा का रकबा 0.5165 है0 बनता है जबकि वादी ने रामलाल व सोसर से 1 बीघा 14 बिस्वा ही जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की थी जिसको हैक्टेयर मे परिवर्तन करने पर 0.42 है0 ही बनता है और इसी जमाबन्दी में दर्ज हिस्से 17/52 के अनुसार रकबा 0.51 है0 बनता है। विवादित आराजी बाबत सहखातेदार प्रतिवादी संख्या 2 व ने वाद पर कोई आपति प्रकट नहीं की है और कब्जा वादी का बताया है। इस

बाबत साक्ष्य पी. डब्ल्यु–2 ने भी ख. नं. 4206 में रकबा 0.42 है0 पर वादी का कब्जा होने का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया है। अतः उक्त विवेचन व विश्लेषण से वादी को हाल ख. नं. 4206 रकबा 1.58 है0 वाके ग्राम दूनी तहसील दूनी में से 0.42 है0 का खातेदार उद्घोषित किया जाता है। वाद के दोरान प्रस्तुत दस्तावेजो एवं साक्ष्यो से ऐसा प्रतीत होता है कि सेटलमेन्ट के दोरान मिलान क्षैत्रफल बनाते समय सहवन से साबिका के मुकाबले हाल ख. नं. का रकबा अधिक कर दिया गया जो अन्य किसी खातेदार का अथवा सिवायचक का रकबा हो सकता है। अतः तहसीलदार दूनी को आदेशित किया जाता है कि उक्त ख. नं. की साबिक व वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड से सम्पूर्ण जांच करे तथा नियमानुसार कार्यवाही करे। यदि रिकॉर्ड दुरूस्ती हेतु सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो तो निर्णय की दिनांक से 60 दिन के भीतर आवश्यक कार्यवाही अमल में लावे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम देवली
व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक.....
उनवानी दावा :

छोटू पुत्र रामनाथ जाति जाट आयु 71 साल निवासी ग्राम सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0

—वादी —

बनाम

1. तहसीलदार जी दूनी जिला टोंक राज0
2. धर्मचन्द पुत्र रघुनाथ जाति खटीक निवासी दूनी तहसील दूनी

— प्रतिवादीगण —

दावा घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज,एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 267 सन् 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री अशोक कुमार गुप्ता अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू इकबालिया जवाब प्रतिवादी संख्या 2 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि

आदेश

वादी को हाल ख. नं. 4206 रकबा 1.58 है0 वाके ग्राम दूनी तहसील दूनी में से 0.42 है0 का खातेदार उद्घोषित किया जाता है। वाद के दोरान प्रस्तुत दस्तावेजो एवं साक्ष्यो से ऐसा प्रतीत होता है कि सेटलमेन्ट के दोरासन मिलान क्षैत्रफल बनाते समय सहवन से साबिका के मुकाबले हाल ख. नं. का रकबा अधिक कर दिया गया जो अन्य किसी खातेदार का अथवा सिवायचक का रकबा हो सकता है। अतः तहसीलदार दूनी को आदेशित किया जाता है कि उक्त ख. नं. की साबिक व वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड से सम्पूर्ण जांच करे तथा नियमानुसार कार्यवाही करे। यदि रिकॉर्ड दुरूस्ती हेतु सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो तो निर्णय की दिनांक से 60 दिन के भीतर आवश्यक कार्यवाही अमल में लावे।

निजी.....मुवलिक.....बाबत् .....
.....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक ..... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 07 माह 10 सन् 2022 को जारी किया गया।

दस्तख्त .....
ओहदा .....उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)

मुहर

मुददई	रू.	पै.	मुददायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए